

**न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-700/2013
संस्थित दिनांक-06.08.2013
फाइलिंग क्र.234503004962013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
तहसील-बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.) - - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

प्रणीता पति गौरीशंकर कदम, उम्र-33 वर्ष,
निवासी-कम्पाउण्डरटोला, थाना-बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - - आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-26/07/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-15.04.2013 को 07:30 बजे, कम्पाउण्डरटोला बैहर, अंतर्गत थाना बैहर में अपनी किराना दुकान में अवैध रूप से विक्रय हेतु अंग्रेजी शराब 27 पाव आई.बी. 180 मि.ली., 14 छोटी बियर हंटर, 24 छोटी बियर हंटर, 22 पाव एम.डी. 180 मि.ली. रम बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे थी।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना बिरसा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रूपराम झारिया को दिनांक-15.04.2013 को शहर भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी प्रणीता कदम ने अपनी किराना दुकान में विक्रय हेतु शराब रखी है। मौके पर उपस्थित गवाह जगदीश रावत, अजहरुद्दीन खान को साथ लेकर आरोपी प्रणीता कदम के आधिपत्य से अंग्रेजी शराब 27 पाव आई.बी. 180 मि.ली., 14 छोटी बियर हंटर, 24 छोटी बियर हंटर, 22 पाव एम.डी. 180 मि.ली. रम प्राप्त हुई, जिसको रखने का लायसेंस नहीं होने से उपरोक्त शराब जप्त की गई। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-56/13 अंतर्गत धारा-34(ए) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए। जप्तशुदा मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया।

3- आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष एवं

झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1— क्या आरोपी ने दिनांक-15.04.2013 को 07:30 बजे, कम्पाण्डरटोला बैहर, अंतर्गत थाना बैहर में अपनी किराना दुकान में अवैध रूप से विक्रय हेतु अंग्रेजी शराब 27 पाव आई.बी. 180 मि.ली., 14 छोटी बियर हंटर, 24 छोटी बियर हंटर, 22 पाव एम.डी. 180 मि.ली. रम बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे थी ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी रूपराम झारिया (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-15.04.2013 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को वह हमराह स्टाफ के साथ भ्रमण हेतु गया था, जिसका इन्द्राज खानगी एवं वापसी रोजनामचा सान्हा में किया गया था। उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी प्रणीता कदम अवैध रूप से विक्रय हेतु शराब रखे हुए है, तब गवाह जगदीश व अजहरुद्दीन को साथ ले जाकर आरोपी प्रणीता कदम की दुकान पर छापा मारने पर शराब 27 पाव आई.बी. 180 मि.ली., 14 छोटी बियर हंटर, 24 छोटी बियर हंटर, 22 पाव एम.डी. 180 एम.एल. प्राप्त हुई थी। उपरोक्त संबंध में उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 लेख की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी के आधिपत्य से जप्त शराब के विषय में जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने गवाहों के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। जप्तशुदा शराब परीक्षण भेजी गई थी। उपरोक्त मदीरा जांच पश्चात् सीलबंद स्थिति में उसे वापस प्राप्त हुई थी तथा विवेचना पश्चात् अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया था।

6— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में रोजनामचा सान्हा की प्रति प्रकरण में संलग्न नहीं की। साक्षी ने यह भी कहा है कि जिस दुकान से शराब जप्त हुई थी, उसके संबंध में दस्तावेज अभिलेख उसने प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये। साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्तशुदा शराब परीक्षण हेतु किस दिनांक को एवं किन गवाहों के समक्ष भिजवाया था, इसके संबंध में उसने कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने समस्त कार्यवाही थाने में बैठकर अपने मन से की थी।

7— एम.एल. यादव (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-13.04.2013 को आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को उसके पास परीक्षण हेतु शराब 27 पाव आई.बी. अंग्रेजी 180 मि.ली., 14 छोटी बियर हंटर, 24 छोटी बियर हंटर, 22 पाव एम.डी. 180 मि.ली. प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा शराब का परीक्षण किये जाने पर मदिरा जैसी गंध आना एवं चखकर देखने से स्वाद में तिखा और तेज पन पाया तथा नीला

लिटमस पेपर में डुबाने से उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं पाया था। इस संबंध में उसने प्रदर्श पी-5 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्तशुदा शराब किसके द्वारा लाई गई थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने कहा है कि सील खोलने का पंचनामा उसके द्वारा नहीं तैयार किया गया था, क्योंकि शराब उसे सीलबंद अवस्था में प्राप्त नहीं हुई थी।

8— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी अजहरुद्दीन (अ.सा.1) का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी की किराना की दुकान है। आरोपी के घर से रसोई गैस के सिलेण्डर मिले थे, जिसके विषय में जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की थी। पुलिस ने उसके कोई बयान लेख नहीं किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि घटना दिनांक-15.04.2013 को आरोपी के आधिपत्य से पुलिस ने शराब जप्त की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जब उसने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर किये थे, तब वे कोरे थे।

9— अभियोजन साक्षी जगदीश राव (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके बयान देने के लगभग एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह आरोपी की दुकान के सामने खड़ा था। उसी समय पुलिस आई और आरोपी के घर से गैस सिलेण्डर निकाले थे। पुलिस के कहने पर उसने प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसके बयान लेख नहीं किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि घटना दिनांक-15.04.2013 को आरोपी के आधिपत्य से शराब पकड़ी गई थी। साक्षी ने कहा है कि उसके सामने प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 की लिखा-पढ़ी के पश्चात् उसने हस्ताक्षर किये थे, परंतु साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसके सामने आरोपी से शराब जप्त की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जब उसने प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर किये थे तब वे कोरे थे।

10— प्रकरण में आरोपी से जप्तशुदा शराब न्यायालय के समक्ष नहीं बुलाई गई और न ही उसमें आर्टिकल अंकित किया गया है। इस प्रकार जप्त की गई शराब की मात्रा के संबंध में कोई प्रमाणिक धारणा नहीं की जा सकती है। विवेचक ने कहा है कि उसने शराब सीलबंद स्थिति में जांच हेतु प्रेषित की थी, जबकि अभियोजन साक्षी एम.एल. यादव (अ.सा.3) का कहना है कि उसे सीलबंद अवस्था में शराब प्राप्त नहीं हुई थी। जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी जगदीश व अजहरुद्दीन ने अभियोजन कहानी के विपरीत यह कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी की दुकान से सिलेण्डर जप्त किया गया था। शराब जप्त होने की बात से स्वतंत्र

साक्षियों द्वारा इंकार किया गया है। उपरोक्त आधारों पर यह घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाई जाती। अतएव आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(ए) के अंतर्गत अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

11- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

12- प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रही है। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जाये।

13- प्रकरण में जप्तशुदा शराब आबकारी विभाग को विधिवत् निराकरण हेतु अपील अवधि पश्चात् प्रेषित की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

बैहर,
दिनांक-26.07.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)